22

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष : एम0के0सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1522–दो/2001 विरूद्ध आदेश 31–5–2001 – पारित – व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 159/2000–2001 अपील

1– सुनील कुमार 2– ध्रुवनारायण
पुत्रगण रमेशचन्द्र निवासीगण
ग्राम तिलोजरी तहसील कैलारस
जिला मुरैना मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– दाताराम पुत्र विजयराम निवासी
मेजर कालोनी गदाईपुरा नहर
विरलानगर तहसील ग्वालियर
2– रामचरण पुत्र विजयराम निवासी
मदनपुरा गन्दे नाले के पास
चार शहर का नाका ग्वालियर ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 6–4 – 2016 को पारित)

अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 159/2000–2001 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–5–2001 के विरूद्ध यह निगरानी म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण ने तहसीलदार कैलारस को म0प्र0भू राज. संहिता 1959 की धारा 109,110 के

अंतर्गत आवेदन देकर मांग की कि ग्राम तिलोजरी तहसील कैलारस स्थित भूमि कुल किता 11 कुल रकबा 21 वीघा 5 विसवा है जिसमें आवेदकगण एंव बुद्धीराम, चकपान, रमेश पुत्रगण विजयराम का हिस्सा 1/8 है जिसमें से सहभागीदार बुद्धीराम तथा चकपान का देहान्त हो चुका है जिनके हिस्से की भूमि पर दाताराम एंव रामचरण का नामांत्रण किया जाय। इसी प्रकार रमेश चंद शर्मा व्दारा बसीयत के आधार पर बुद्धीराम के हिस्से की भूमि पर नामान्तरण की मांग की। तहसीलदार कैलारस ने प्रकरण कमांक 32 अ-6/93-94 पंजीबद्व किया तथा हितबद्व पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 30-6-2000 पारित किया तथा स्वर्गीय चकपान एंव बुद्विराम के स्थान पर अनावेदकगण का नामांतरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ के समक्ष अपील कमांक 44/99-2000 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 26-2-01 से अपील निरस्त करते हुये तहसीलदार का आदेश दिनांक 30-6-2000 स्थिर रखा गया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 159/2000-2001 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-5-2001 से अपील ऑशिक रूप से स्वीकार की गई तथा मृतक चकपान की भूमि पर राजस्व निरीक्षक व्दारा गोदनामे के आधार पर 30-3-91 को सुनील कुमार के हित में किया गया नामान्तरण यथावत् रखते हुये मृतक बुद्धीराम की भूमि पर वारिसान के आधार पर किया गया नामान्तरण स्थिर रखा गया। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का

अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह तथ्य निर्विवाद है कि मृतक चकपान की मृत्यु उपरांत उसके हिस्से की भूमि पर राजस्व निरीक्षक ने गोदनामे के आधार पर आदेश दिनांक 30-3-1991 से गोदनसीन सुनील कुमार के हित में नामान्तरण किया है और इस आदेश को किसी भी पक्षकार ने सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है जिसके कारण आदेश दिनांक 30-3-1991 अंतिम रूप ले चुका है। जहां तक मृतक बुद्धिराम के हिस्से की भूमि पर तहसील न्यायालय व्दारा आदेश दिनांक 30-6-2000 से उत्तराधिकारिता के आधार पर किये गये नामान्तरण का प्रश्न है ? यह कार्यवाही विधि अनुरूप पाये जाने से विद्वान अपर आयुक्त व्दारा आदेश दिनांक 31-5-01 से यथावत् रखी है, जिसमें किसी प्रकार का दोष दिखाई नहीं देता।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 159/2000-2001 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-5-2001 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर